श्री एस.एस. अहलुवालिया : सर, प्रधान मंत्री को यहां बुलाइए। ..(व्यवधान)...

श्री सभापति : आप क्या चाहते हो? प्रधान मंत्री को बुलाना मेरे हाथ में नही है। ...(व्यवधान)..

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सर, ये लोग एक महिला को नहीं बोलने दे रहे है। ...(व्यवधान)..

श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल) **:** महिला सांसद को बोलने दीजिए। ...(व्यवधान).. महिला सांसद को बोलने दीजिए। ..(व्यवधान)....

श्री सभापति :सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned at twenty-seven minutes past twelve of the clock.

The House re-assembled after lunch at two of the clock.

MR. CHAIRMAN in the Chair.

The Seeds Bill, 2004.

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजानिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) **:** सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि विक्रय, आयात और निर्यात के लिए बीजों की क्वालिटी को विनियमित करने और क्वालिटी के बीजों के उत्पादन और प्रदाय को सुकर बनाने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:"स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The Question was put and the motion was adopted.

श्री कांतिलाल भूरिया :मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

———————

MATTER RAISED WITH PERMISSION—*CONTD.*

Women's reservation Bill

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) **:** माननीय सभापति जी, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि भले ही मेरा नाम प्राथमिकता की सूची मे न आया हो, लेकिन आपने मुझे इस दोपहर में यह स्थान दिया और बोलने की अनुमति दी है। हर रात की सुबह होती है और रात चाहे कितनी ही काली और अंधेरी क्यों न हों, सुबह से पहल जाती है। महोदया, मैं आपसे और पूरे सदन से यह जानना चाहती हूं कि आखिर महिला आरक्षण विधेयक पर यह जो काली रात

छाई हुई है, क्या उस रात का कभी कोई सवेरा नहीं होगा? सभापति ...(व्यवधान)..मेरा आपसे, माननीय सदस्यों से और इस पूरे सदन से यह सवाल है कि आखिर महिला आरक्षण विधेयक का प्रश्न सिर्फ महिलाओं का प्रश्न नहीं है, हमारे राष्ट्र का प्रश्न है हमारे जनतंत्र का प्रश्न है। इसलिए इस महत्वपूर्ण प्रश्न को इस तरह ताक पर रखकर क्या हम अपने संसदीय जनतंत्र के साथ विश्वासघात नहीं कर रहे है? जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, मैं समझती हूं कि सभी पार्टियों ने इस विधेयक पर अपनी सहमति का इजहार किया है। लेकिन सर्वसम्मति के नाम पर और इस सर्वसम्मति की विषमता की सद्-इच्छा की मरीचिका के पीछे अगर हम भागते रहेंगे तो यह विधेयक कभी पास नहीं होगा। इसलिए महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हू कि कृपया सरकार से कहिए कि इसी सत्र मे, इस बिल को प्रस्तुत करे, इस पर डिसकसन करे और इस पर वोट हो। मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि बहुत हो गया, हमने बहुत देर प्रतीक्षा की है, अब और प्रतीक्षा नहीं। कृपया माननीय मंत्री जी जवाब दें।

श्रीमती सुषमा स्वराज (उत्तरांचल) **:** सभापति महोदय, ...(व्यवधान)..

श्री सभापति : इस पर सभी महिलाओं का समर्थन है। क्या आपका भी समर्थन है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : जी हां? सभापति जी। महोदय, जो प्रस्ताव बहन सरला माहेश्वरी जी ने सदन मे रखा है, मैं उससे केवल अपने आपको संबद्ध नहीं करती, बल्कि उसका पुरजोर समर्थन भी करती हूं। सभापति जी, मेरे लिए तो यह व्यक्तिगत भावनाओं का प्रश्न है क्योंकि जिस समय संसदीय कार्य मंत्री बनी थी, मुझे लगता था कि यह स्वप्न पूरा होगा और मैंने वह बीड़ा उठाया था, लेकिन जैसा वे कह रही है कि फिर सर्वसम्मति का सवाल पैदा हो गया। हमारे नेता ने तो बिल्कुल साफ कह दिया था कि वे बिल को पारित करना चाहते है, लेकिन सर्वसम्मति नहीं बन पाई थी। ...(व्यवधान).. सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में इस बात को रखा गया है और यह कहा गया है कि वे इस बिल को पारित करना चाहते है। मैं यहां अपनी पार्टी की ओर से, पूरे जोर से इस बात की घोषण करना चाहती हूं कि अगर वे इस बिल को यहां लाएं तो हम लोग पूरा समर्थन देकर बिल को पारित करवाएंगे। इसलिए सर्वसम्मति के नाम पर बिल को इधर-उधर न करते रहें वे बिल लेकर आएं और संख्या यह कहती है कि अगर यू.पी.ए. के लोग और हमारे भी अकेले मिल जाएं, केवल कांग्रेस, बीजेपी, और कम्युनिस्ट मिल जाएं तो यह बिल पारित होता है, तो कुछ दल, जो इसका समर्थन नहीं कर रहे है, उन्हे एक तरफ रखकर भी यह बिल पारित हो सकता है। सारे बिल सर्वसम्मति से पारित नहीं होते, लेकिन मैं अपनी ओर से इस बात का आश्वासन सदन में दे रही हूं कि हमारे लोग इस बिल के साथ वोट करेंगे। आप बिल लाइए और लाकर बिल का पारित करवाइए। इसी सत्र में लाइए और पारित करवाइए ....(व्यवधान)...

श्री सभापति : एक मिनट ...(व्यवधान).. मेरी सुन लीजिए ...(व्यवधान)..

श्रीमती सविता शारदा (गुजरात) **:** सभापति जी, मै सदन में बैठी सभी बहनों से अपेक्षा करती हूं कि वे अपनी पार्टी से कहें और इस बिल को पास कराएं। बहन कुमकुम राय जी बाहर चली गई है ...(व्यवधान).. बड़ा बुरा लगा होगा ...(व्यवधान).. इस बिल को लाने के लिए हम हितायत कर रही है ...(व्यवधान).. मुझे लगता है कि यहां जो बहनें बैठी है, बहन सरला माहेश्वरी जी के कहने के अनुसार, हम सभी अपनी-अपनी पार्टियों से इसकी अपेक्षा रखते है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : ठीक है ...(व्यवधान)....

SHRI P.G. NARAYANAN (Tamil Nadu): Sir, we are also supporting it. *...(Interruptions)...*

श्री सभापति : वे बोल चुकी है ...(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sir, not only the women Members, we are also spporting this Bill. *...(Interruptions)...*

SHRIMATI VANGAGEETHA(Andhra Pradesh): Sir, it is a long pending issue. The women of our country are eagerly waiting for this Bill. The present U.PA. Government has also reiterated that they would bring forward the Women Reservation Bill. Sir, outside the Parliament, all the political parties are supporting this Bill, but I don't know why this Bill is not being brought before this House.

MR. CHAIRMAN: All right. You are also supporting this Bill. Please take your seat.

SHRIMATI VANGAGEETHA: Sir, I request the Government to introduce this Bill in this Session of Parliament itself.

DR. PRABHA THAKUR (Rajasthan): Sir, we also support this Bill. *...(Interruptions)...*

श्री सभापति : आप उनकी बात का समर्थन करती है ...(व्यवधान)..

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) :आदरणीय सभापति जी, जहां तक विधान सभा और लोकसभा में महिला आरक्षण का प्रश्न है, इस संबंध में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ-साथ पूरी यू.पी.ए. सरकार इसके लिए वचनबद्ध और कटिबद्ध है। यू.पी.ए. ने जो अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी किया है, उसमें भी इस बात का उल्लेख किया है कि हम लोग लोक सभा और विधान सभा में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। रही बात महिलाओं के

आरक्षण की, तो सभापति जी, मैं इस बात को रेखांकित करना चाहूंगा कि लोकल बॉडीज और पंचायत के इलेक्शन में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था हमारे दिवंगत नेता श्री राजीव गांधी जी की पहल पर प्रारंभ हुई थी। इसी प्रकार की व्यवस्था के बारे में मैं स्पष्ट रूप में इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी की पहल पर महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था विधान सभा और लोक सभा में भी जारी की जाएगी। इस बात का उल्लेख जहां यू.पी.ए. के घोषणा पत्र में है, वहीं कांग्रेस पार्टी भी इस बात के लिए वचनबद्ध और कटिबद्ध है। ...(व्यवधान)..

श्रीमती सरला माहेश्वरी :इस सत्र में लाएंगे या नहीं? ...(व्यवधान).. इस सत्र में ले आइए।

श्री सभपति : आप छोडिए। सारी महिलाएं इसके पक्ष में है, यह मान लिया गया है ...(व्यवधान)... बैठ जाइए।

———

STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE PREVENTION OF TERRORISM (REPEAL) ORDINANCE, 2004 (No. 1 OF 2004)

AND

PREVENTION OF TERRORISM (REPEAL) BILL, 2004

AND

STATUTORY RESOLUTION

SEEKING DISAPPROVAL OF THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT ORDINANCE, 2004 (No. 2 OF 2004)

AND

UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT BILL, 2004

डा. मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश) : सभापति जी, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 सितबर, 2004 को प्रख्यापित आंतकवाद निवारण (निरसन) अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्याकं 1) का निरनुमोदन करती है"।